आकाशवाणी केन्द्र शिमला
03.12.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1500बजे

राष्ट्रपति–दिव्यांगजन पुरस्कार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि किसी समाज को सही मायने में तभी विकसित कहा जा सकता है जब दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके साथ दया नहीं, बल्कि सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम में उन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मु ने दिव्यांगजनों की सराहना की और कहा कि उनकी अविश्वसनीय उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

प्रश्नकाल

राज्य सरकार 12 लाख 4 हजार 8 सौ 70 अवैध कब्जाधारी परिवारों की सुप्रीमकोर्ट में लड़ाई लड़ेगी ताकि इन परिवारों को बेघर होने से बचाया जा सके। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे प्रदेश विधानसभा के शीताकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधायक जीत राम कटवाल द्वारा पूछे गए सवाल के उत्तर में दखल के दौरान ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नामी वकीलों को खड़ा करेगी ताकि इन कब्जाधारी परिवारों के खिलाफ प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में इन्हें राहत दिलाई जा सके। इससे पहले, मूल प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 2002–03 में एक ऐसी नीति लाई, जिसमें अवैध कब्जाधारियों के कब्जे नियमित करने की बात कही गई। इस नीति के तहत प्रदेश में एक लाख 60 हजार से अधिक लोगों ने रातोंरात आवेदन कर दिया और ये सभी अवैध कब्जे सामने आए हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में तमाम गैर राजस्व जमीन वन भूमि है और जब तक केंद्र सरकार एफसीए में संशोधन नहीं कर देती, तब तक सरकार एक बिस्वा जमीन भी किसी को आवंटित नहीं कर सकती।

राजस्व मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा बनाए गए कानून 163–ए को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, इसलिए इस समस्या के लिए पूर्व भाजपा सरकार जिम्मेदार है। इससे पहले, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक प्रतिपूरक सवाल में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा इस नीति को लाने का उद्देश्य दशकों से सरकारी जमीन पर घर बना कर रह रहे लोगों को उनकी जमीन का कब्जा दिलाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने सही ढंग से इस मामले को अदालत के समक्ष नहीं रखा, जिस कारण एक लाख 24 हजार से अधिक परिवारों के बेघर होने की नौबत आ गई है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के एक सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने 6 सौ 45 पटवारियों की भर्ती को मंजूरी दे दी है और इन पदों को भरने के लिए राज्य चयन आयोग को सिफारिश कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में पटवारियों की भारी कमी है और इसे दूर करने के लिए सरकार सेवानिवृत्त हो चुके पटवारियों की सेवा ले रही है। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों के लिए सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समय सीमा तय कर दी है। ऐसे में समय पर काम नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है।

लोकसभा–वैष्णव–फेक न्यूज

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। उन्होंने सोशल मीडिया, भ्रामक खबरों और एआई जनित डीप फेक पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए वैष्णव ने कहा कि एआई जनित डीप फेक की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक नया मसौदा नियम प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार और भारतीय प्रेस परिषद दोनों ही किसी भी टीवी चौनल या समाचार पत्र के खिलाफ आने वाली शिकायतों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के निकट दाड़ी में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से बने क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रयोगशाला के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट प्रदान किया है और बोर्ड का ये नया भवन तकनीकी क्षमता, कार्य कुशलता और सेवा स्तर को और अधिक बेहतर करेगा। इस अवसर पर आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

———————————————